पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक :–No./Acad./2022/14351 दिनांक :11.10.2022

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

1. प्रो. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. रवीन्द्र कटेवा	(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
3. श्री यशपाल	संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
4. डॉ. नीलम भार्गव	संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
5. डॉ. भूपेन्द्र कुमार	संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य
6. डॉ. दिलसुख थालौड़	संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
7. डॉ. पुष्पा चौधरी	संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान	सदस्य
8. डॉ. अशोक गोदारा	संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
9. डॉ. सुरेश कुमार नायक	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड विधि	
10. श्री रामानन्द शर्मा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भौतिक विज्ञान	सदस्य
11. डॉ. राजवीर सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड रसायन विज्ञान	सदस्य
12. डॉ. नीना गुप्ता	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड जन्तु विज्ञान	
13. डॉ. रणवीर सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड. गणित	सदस्य
14. डॉ. मनोज कुमार	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भूगोल	
15. श्री महिपाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अर्थशास्त्र	सदस्य
16. डॉ. मंजू लाडला	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड राजनीति विज्ञान	
17. डॉ. भागीरथ मल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड लोक प्रशासन	सदस्य
18. डॉ. महेश गिठाला	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड समाज शास्त्र	सदस्य
19. डॉ. दीनदयाल गुप्ता	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अंग्रेजी	सदस्य
20. डॉ. राजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड हिन्दी	सदस्य
21. डॉ. मधु गढ़वाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड शिक्षा	सदस्य
22. डॉ. अशोक कुमार मीणा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड एबीएसटी	सदस्य
23. डॉ. के. एम. मोदी	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड व्यावसायिक प्रशासन	सदस्य
24. श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय के नये कुलसचिव से परिचय करवाया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये:

Item Agenda (मद) 1 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 11.05.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 03.01.2022 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 11.05.2022 के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई। बैठक के एजेण्डा आईटम नं. 3 में गठित समिति का पुनर्गठन किया गयाः

1. पिलानी– डॉ. अशोक कुमार गोदारा, डॉ. मनोज कुमार कुल्हार
2. जयपुर– डॉ. पुष्पा चौधरी, डॉ. नीना गुप्ता
3. दिल्ली– डॉ. राजेन्द्र सिंह, डॉ. रणवीर कुमार

उक्त सदस्यों के साथ में विश्वविद्यालय के अधिकारी भी साथ रहेंगे।

Item Agenda (मद) 3 :– विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति को सत्र 2023–24 से लागू किये जाने का निर्णय किया गया जिसमें सेमेस्टर वाईज परीक्षाओं का आयोजन करना, चॉइस बेसिड क्रेडिट सिस्टम लागू करना, नवीन शिक्षा नीति के तहत अद्यतन पाठ्यक्रम निर्माण किये जायेंगे। टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष सदस्य होंगे।

Item Agenda (मद) 4 :– राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रोस्टर गाईडलाईन को अंगीकृत करने पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रोस्टर गाईडलाईन (कार्य सूची की परिशिष्ट – III) को अंगीकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :– विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु रोस्टर समिति द्वारा निर्धारित रोस्टर के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु रोस्टर समिति द्वारा निर्धारित रोस्टर (कार्य सूची की परिशिष्ट – IV) को स्वीकार किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृत विभागों के विषय विशेषज्ञों की अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूची के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत विभागों के विषय विशेषज्ञों की सूची (कार्य सूची की परिशिष्ट – V) को स्वीकार किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :– विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में संचालित पर्यावरण एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषय की अध्यापन पद्धति, परीक्षा पद्धति पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णय: शैक्षणिक सत्र 2021–22 की अध्ययन पद्धति व परीक्षा पद्धति चालू रखे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– विश्वविद्यालय में नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय: विश्वविद्यालय में निम्न पाठ्यक्रम शुरू किये जाने का निर्णय किया गया:

1. Mass Communication, Social Media Diploma
2. Libraray and Information Science Diploma
3. Language Translation Diploma
4. कर्मकाण्ड एण्ड परोहितान
5. D.P.Ed.
6. M.Ed.

इनके अलावा मांग एवं आवश्यकता के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किये जाने के निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 9 :– विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया चालू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय: अक्टूबर माह में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फॉर्म भरवाने का कार्य शुरू किये जाने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों को प्रति कालांश दिये जाने वाला मानदेय पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय: विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों को प्रति कालांश आयुक्तालय, जयपुर की शर्तानुसार विद्या संबल योजना के तहत निम्नानुसार मानदेय दिये जाने का निर्णय किया गया:

1. आचार्य– 1200 रू. / कालांश
2. सह आचार्य– 1000 रू. / कालांश
3. सहायक आचार्य– 800 रू. / कालांश

अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व अन्य संस्थाओं में सेवारत एवं सेवानिवृत प्राध्यापकों / प्रोफेसरों की भी सेवाएं ली जा सकेंगी, जिन्हें प्रति कालांश का भुगतान विद्या संबल योजना के अनुसार किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विषयों को पढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले विशिष्ट विषय विशेषज्ञों को दिये जाने वाला मानदेय के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय: विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विषयों को पढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले विशिष्ट विषय विशेषज्ञों को Special Lecture के लिये जाने पर रू. 2000 प्रति कालांश के अनुसार भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया एवं एक दिन में अधिकतम दो Special Lecture दिये जा सकते हैं। लगातार क्लास लेने पर विषय

विशेषज्ञ को विद्या संबल योजना के अनुसार रू. 1200 प्रति कालांश के हिसाब से मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया। विषय विशेषज्ञ को राज्य सरकार के नियमानुसार डी.ए. एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार टी.ए. का भुगतान किये जाने का भी निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार (Examination Reforms) में प्रवेश से लेकर परिणाम तक की प्रक्रिया में अद्यतन सुधार, तकनीकी प्रयोग आदि से संबंधी सम्बद्धता प्राप्त विश्वविद्यालयों की परीक्षा कार्यप्रणाली का अध्ययन, परीक्षण कर लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों को भेजकर सुझाव लेने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार (Examination Reforms) में प्रवेश से लेकर परिणाम तक की प्रक्रिया में अद्यतन सुधार, तकनीकी प्रयोग आदि से संबंधी जानकारी लेने व अध्ययन हेतु निम्न स्थानों पर विश्वविद्यालय अधिकारियों को भेजकर सुझाव लिये जाने का निर्णय किया गयाः

1. उत्तर प्रदेश– कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय
2. तमिलनाडु– काकतिया विश्वविद्यालय
3. हरियाणा– कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, रोहतक विश्वविद्यालय
4. मध्यप्रदेश– भोपाल विश्वविद्यालय
5. महाराष्ट्र– बम्बई विश्वविद्यालय
6. गुजरात– अहमदाबाद विश्वविद्यालय
7. दिल्ली– दिल्ली विश्वविद्यालय, इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अन्य विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं जो ख्याति प्राप्त विशेष स्थान रखते हैं।

Item Agenda (मद) 13 :– विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में परीक्षा योजना (Scheme of Examination) की एकरूपता के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में परीक्षा योजना (Scheme of Examination), पेपर पैटर्न एवं मार्किंग स्कीम संकायवार एकरूपता किये जाने का निर्णय किया गया।

<u>टेबल एजेण्डा</u>

Table Agenda (मद) 1 :– स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध सत्रांक की परीक्षा प्रणाली के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध सत्रांक स्थगित किये जाने का निर्णय किया जाता है। वर्ष 2022 की परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं सत्रांक दोनों के अंक मिलाकर विद्यार्थी को उत्तीर्ण किये जाने का निर्णय किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

कुलसचिव